न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

प्रकरण संख्या : 110/2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/128

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री अशोक कुमार दोसी पुत्र श्री नथमल दोसी निवासी सदर बाजार कंलिजरा, बागीदौरा (विक्रेता) मैसर्स अशोक कुमार नथमल दौसी, सदर बाजार, कंलिजरा बागीदौरा, बांसवाडा (राज) फोन नं. 8949676595
2. श्री हिमांशु सागरिया पुत्र श्री अदेश्वर सारगिया (विक्रेता) निवासी नियर कबीर मंदिर दाहोद रोड, बांसवाडा मैसर्स **Abhishek spices, Near Kabir Mandir Dahod Road, Banswara** फोन नं. 9829484771
3. (नोमिनी) **Shri Omprakesh Bapulal Bhandari Agrawal Society Pase Banswada Road Agrawal Society Jhalod Gujarat M/s VASANT MASALA Private Limited 1st Floor A-117/118, Likamani Trade Center, Dudheshwar Road, Outside, Delhi Darwaja, Ahmedabad Gujarat-380004 mob. No 9426526370**

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री उम्मेद मल टेलर** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **12–11–2024** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **23–04–2024** को दौराने निरीक्षण 3.20 पी.एम. बजे बाहेसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉंच हेतु **मैसर्स अशोक कुमार नथमल दौसी, सदर बाजार, कंलिजरा बागीदौरा, बांसवाडा** पर पहुंचा तो वहाँ पर **श्री अशोक कुमार दोसी पुत्र श्री नथमल दोसी** मिले। विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में **मैसर्स अशोक कुमार नथमल दौसी, सदर बाजार, कंलिजरा बागीदौरा** का निरीक्षण करने पर दुकान में खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.04.17 11:44:31 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

पदार्थ **गरम मसाला (निविध)** एक रेक में **500 ग्राम के 10 पैकेट रखे हुए थे। खाद्य पदार्थ गरम मसाला (निविध)** जिसको एफ.एस.एस.ए 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **खाद्य पदार्थ गरम मसाला (निविध) के 4 पैकेट कुल 2 कि.ग्रा.** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत **1000/– रु.** विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **खाद्य पदार्थ गरम मसाला (निविध) के 4 पैकेट के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1793** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिर्पोट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.04.17 11:24:31 IST
Reason: SelfAttested

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य [illegible] एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/233 [illegible] विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक [illegible] दिनांक 03–05–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **खाद्य पदार्थ गरम मसाला (निविध)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1793** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

2006 पाया गया। जिसकी सूचना विक्रेता/मालिक को दी गई, नमूने की पुनः जाँच हेतु अपील नही की है।

फर्म के मालिक **श्री अशोक कुमार दोसी पुत्र श्री नथमल दोसी निवासी सदर बाजार कंलिजरा, बागीदौरा** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त **खाद्य पदार्थ गरम मसाला (निविध)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर विक्रेता ने **खाद्य पदार्थ गरम मसाला (निविध)** का अग्रिम माल खरीद बिल मैसर्स– **Abhishek spices, Near Kabir Mandir Dahod Road, Banswara** का बिल प्रस्तुत किया। मैसर्स– **Abhishek spices, Near Kabir Mandir Dahod Road, Banswara** से यह पत्र व्यवहार करने पर **M/s VASANT MASALA Private Limited 1st Floor A-117/118, Likamani Trade Center, Dudheshwar Road, Outside, Delhi Darwaja, Ahmedabad Gujarat** का बिल प्रस्तुत किया। विक्रेता द्वारा **खाद्य पदार्थ गरम मसाला (निविध)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 14–11–2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 21–01–2025 को अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से श्री अजय सिंह सोलंकी अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ। दिनांक 11.02.2025 को अप्रार्थीगणो की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब मय आपत्ति पेश की। जिसकी प्रति विभागीय पैरोकार को उपलब्ध करवाई गई। दिनांक 05.05.2025 को अप्रार्थीगणो की ओर से उनके अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया गया है कि नियमानुसार प्रकरण के सभी दस्तावेज हमे मिलने चाहिये, जो हमे इस प्रकरण में नही दिए गए। इसके अलावा जब हमने अपने खर्च पर दस्तावेजो की नकल मांगी, उसमे भी हमे इन्डेक्स के क्र. सं. 2,3,4,8 और 14 सहित अन्य दस्तावोज उपलब्ध नही कराए गए, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो का उल्लंघन हुआ। इससे प्रार्थी को अपना पक्ष प्रभावी रुप से रखने, आरोपो का जवाब देने और कानूनी अधिकारो की रक्षा करने का अवसर नही मिला।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.04.17 11:24:31 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2011 के नियम 7(ए) के अनुसार, परीक्षण प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए **sample label** से **FBO** की पहचान **(brand name, trade name, barcode** आदि**)** हटाकर एक युनिक कोड दिया जाना चाहिये था, पर ऐसा नही किया गया, जिससे **process** की **integrity** प्रभावित हुई।

NBAL द्वारा जारी **Public Health Laboratory** बांसवाडा के **Scope Certificate sa Serial No.** 60 से 62 तक में **Mixed masala powder** स्वरुप की **Testing** के लिये स्पष्ट **authorization** नही है, जिससे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की ैमबजपवद 43(1) का उल्लंघन हुआ।

Acid Insoluble Ash की जांच के लिये **"FSSAI Manual of Method of Spices and Condiments, Method No. 5.0, Page No.14:2016** का उपयोग किया गया जबकि **FSSAI** के 22 जून 2021 के आदेश **(File no. 11014/08/2020_QA) }kjk "FSSAI 10.007:2021** से प्रतिस्थापित किया जा चुका था। यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2011 के नियम 2. 4.2(7) का उल्लंघन है

श्री ओमप्रकाश बापुलाल भंडारी केवल **M/s VASANT MASALA Private Limited** के नामित **(Nominee)** है, न कि स्वयं निर्माता। माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ने पुनित शर्मा बनाम मध्यप्रदेश राज्य **(MISC CRIMINAL CASE No.5958 of 2021)** में यह स्पष्ट किया कि यदि कंपनी को आरोपी नही बनाया गया है तो उसके नामित व्यक्ति को व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी नही ठहराया जा सकता। उनका समावेश प्रक्रियागत रुप से अनुचित है और उन्हे हटाया जाना चाहिए।

विभागीय पैरोकार ने बहस के दौरान कथन किया कि दिनांक **23–04–2024** को दौराने निरीक्षण 3.20 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स अशोक कुमार नथमल दौसी, सदर बाजार, कलिजरा बागीदौरा, बांसवाडा** पर पहुंचा तो वहाँ पर **श्री अशोक कुमार दोसी पुत्र श्री नथमल दोसी** मिले। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स अशोक कुमार नथमल दौसी, सदर बाजार, कलिजरा बा**[illegible] निरीक्षण करने पर दुकान में खाद्य पदार्थ **गरम मसाला (निविध)** एक [illegible] **रखे हुए थे। खाद्य पदार्थ गरम मसाला (निविध)** जिसको एफ.एस.एस.ए 2006 [illegible] तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.04.17 11:24:31 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

खाद्य पदार्थ गरम मसाला (निविध) के 4 पैकेट कुल 2 कि.ग्रा. वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत **1000/- रु.** विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **खाद्य पदार्थ गरम मसाला (निविध) के 4 पैकेट के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1793** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिर्पोट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/233 दिनांक 22-05-2024 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 505 दिनांक 03-05-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **खाद्य पदार्थ गरम मसाला (निविध)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1793** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। जिसकी सूचना विक्रेता/मालिक को दी गई, नमूने की पुनः जाँच हेतु अपील नही की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.04.17 11:24:31 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

फर्म के मालिक **श्री अशोक कुमार दोसी पुत्र श्री नथमल दोसी निवासी सदर बाजार कंलिजरा, बागीदौरा** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त **खाद्य पदार्थ गरम मसाला (निविध)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर विक्रेता ने **खाद्य पदार्थ गरम मसाला (निविध)** का अग्रिम माल खरीद बिल मैसर्स– **Abhishek spices, Near Kabir Mandir Dahod Road, Banswara** का बिल प्रस्तुत किया। मैसर्स– **Abhishek spices, Near Kabir Mandir Dahod Road, Banswara** से यह पत्र व्यवहार करने पर **M/s VASANT MASALA Private Limited 1st Floor A-117/118, Likamani Trade Center, Dudheshwar Road, Outside, Delhi Darwaja, Ahmedabad Gujarat** का बिल प्रस्तुत किया। विक्रेता द्वारा **खाद्य पदार्थ गरम मसाला (निविध)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अप्रार्थीगणो के अधिवक्ता का मुख्य रुप से यह उज्र रहा है कि श्री ओमप्रकाश बापुलाल भंडारी केवल **M/s VASANT MASALA Private Limited** के नामित **(Nominee)** है, न कि स्वयं निर्माता। उनका नाम प्रकरण से हटाये जाने बाबत् निवेदन किया। पत्रावली में संलग्न **Form GST REG- 06 Registration Certificate Registration number:24AAACV9648JIZW** जो **VASANT MASALA Private Limited** के नाम से जारी है के साथ संलग्न **Annexure B** में **Details of Managing/ Whole-time Directors and Key Managerial Person** की सूची में क्र.सं. 2 पर श्री ओमप्रकाश बापुलाल भण्डारी का नाम अंकित है। इस प्रकरण में श्री ओमप्रकाश बापुलाल भण्डारी को पक्षकार बनाने में कोई विधिक भूल नही की है, तथापि उन्हे व्यक्तिगत रुप से दोषी ठहराया नही जा सकता। अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2024 / 233 दिनांक 22–05–2024 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा [illegible] जांच रिपोर्ट क्रमांक 505 दिनांक 03–05–2024 अनुसार विक्रेता से [illegible] गया **खाद्य पदार्थ गरम मसाला (निविध)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1793** Substandard food under section 3(1)(zx)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.04.17 11:24:31 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

of food safety and standards act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया **खाद्य पदार्थ गरम मसाला (निविध)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री अशोक कुमार दोसी पुत्र श्री नथमल दोसी निवासी सदर बाजार कंलिजरा, बागीदौरा (विक्रेता) मैसर्स अशोक कुमार नथमल दौसी, सदर बाजार, कंलिजरा बागीदौरा, बांसवाडा को रूपये 2500/– (अक्षरे दो हजार पांच सौ रुपया मात्र), श्री हिमांशु सागरिया पुत्र श्री अदेश्वर सारगिया (विक्रेता) निवासी नियर कबीर मंदिर दाहोद रोड, बांसवाडा मैसर्स Abhishek spices, Near Kabir Mandir Dahod Road, Banswara को रूपये 2500/– (अक्षरे दो हजार पांच सौ रुपया मात्र), M/s VASANT MASALA Private Limited 1st Floor A-117/118, Likamani Trade Center, Dudheshwar Road, Outside, Delhi Darwaja, Ahmedabad Gujarat को रूपये 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 24–02–2026 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.04.17 11:24:31 IST
Reason: SelfAttested